कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी हाथरस

पत्र सं0–सीएफओ0–हाथ0 / पेट्रो0अना0 / 2019 / 605

दिनांक–मई, 9 2019

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी
हाथरस।

विषय– इण्डियन ऑयल कॉरपोरेशन लि0, 65/2, इण्डियन ऑयल भवन, संजय पैलेस, आगरा के पत्र संख्या– AG/ NOC/Hathras, दिनांक 01.05.2019 के अनुसार खसरा संख्या–10, ग्राम मीतई, हाथरस– आगरा रोड, तहसील व जनपद –हाथरस पर प्रस्तावित नवीन पेट्रोल पम्प व सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट स्थापित किये जाने हेतु प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में ।

संन्दर्भ– आपका पत्र संख्याः 368 / जि0पू0अ0–पेट्रो0अनु0 / 2019 दिनांक 03 मई, 2019।

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में, खसरा संख्या–10, ग्राम मीतई, तहसील व जनपद–हाथरस पर प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट(पेट्राल पम्प), सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट स्थल का अग्निसुरक्षा एंव, पेट्रोलियम एक्ट 1934, पेट्रोलियम रूल्स 2002 तथा गैस सिलेन्डर रूल्स 2004 तथा भारत सरकार के आदेश संख्या एन0एच0–33023 / 19 / 99 डी0ओ0–त्रतीय दिनांक 25.09.2013 व 17.10.2003 के अनुसार आख्या निम्न प्रकार है–

1. प्रस्तावित स्थल हाथरस–आगरा रोड (के0एम0 स्टोन से नगला भुस–02 किमी0, नगला उम्मेद–9.635 किमी0) से 243 मीटर दूरी पर स्थिति है।जहां पर अग्निशमन के सभी वाहन आसानी से पहुँच सकते हैं ।
2. प्रस्तावित फिलिंग स्टेशन की भूमि का क्षेत्रफल–1225 वर्गमीटर है।
3. सी0एन0जी0 केसकेड (3000 W.L) का प्रस्तावित है।
4. सी0एन0जी0 केसकेड (3000 W.L) तथा सी0एन0जी0 कम्प्रेशर के मध्य की दूरी निर्धारित तथा इनसे वेन्ट पाईप, फिल पॉइन्ट, डिस्पेन्सर, फ्यूल टैंक, सीएनजी0 नॉजल तथा बाउन्ड्री व रिटेल आउटलेट कार्यालय की दूरी मानचित्र के अनुसार निर्धारित होगी।
5. निरीक्षण के दौरान प्रस्तावित स्थल के ऊपर से कोई विद्युत लाइन नहीं गुजरी पायी गयी ।
6. पेट्रोलियम / फिलिंग स्टेशन प्रवेश एंव निकास हेतु 11.50 मीटर चौडाई के दो प्रवेश व निकास मार्ग प्रस्तावित है।
5. 20 के0एल0 क्षमता का 01 अद्द हाई स्पीड डीजल(एचएसडी0) व 01 अद्द पेट्रौल (एमएस0) भूमिगत टैंक प्रस्तावित है
6. मानचित्र में बाउन्डरी वॉल 02 मीटर निर्धारित है किन्तु पृष्ठ भाग की बाउन्डरी वॉल अग्निशमन दृष्टिकोण से 03 मीटर अनिवार्य होगा।

प्रस्तावित व्यवस्था एंव अग्निशमन प्रणाली

1. 20 के0एल0 क्षमता का 01 अद्द हाई स्पीड डीजल(एचएसडी0) व 01 अद्द पेट्रौल (एमएस0) भूमिगत टैंक एंव सी0एन0जी0 केसकेड (3000 W.L) हेतु अग्निशमन व्यवस्थायें पेट्रौलियम एक्ट 1934, पेट्रौलियम रूल्स 2002 तथा गैस सिलेन्डर रूल्स 2004 के अतिरिक्त सी0एन0जी0 रिटेल आउटलेट के लिए निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थायें कराया जाना प्रस्तावित है–

   ए–प्रत्येक डिस्पेन्सर के यूनिट के लिए 10 कि0ग्रा0 क्षमता का 01 अद्द एबीसी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर।
   बी– कम्प्रेशर हेतु 10 किग्रा0 क्षमता का 01 अद्द एबीसी0 फायर एक्सटिंग्यूशर।
   सी–सी0एन0जी0 स्टोरेज हेतु 10 किग्रा0 क्षमता का 01 अद्द ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर।
   डी–केसकेड रिफिलिंग एरिया हेतु 10 किग्रा0 क्षमता का 01 अद्द ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर।
2. केसकेड में सी0ओ0टू0 फ्लडिंग सिस्टम की स्थापित किया जाय।
3. बालू का अतिरिक्त भण्डारण।

मो. एहतशाम जुबैरी / Mohd. Ehtesham Zuberi
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल्स) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (वि. प्र.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M. D.)
आगरा मण्डल कार्यालय / Agra Divisional Office
इंडियन ऑयल भवन / Indian Oil House
65/2, संजय प्लेस, आगरा – 282002 (यू.पी.)
65/2, Sanjay Place, Agra - 282002 (U.P.)
19/05/2020

कमशः.....

4. सी0एन0जी0 केसकेड व कम्प्रेशर क्षेत्र को वायर फेसिंग द्वारा अन्य स्थलों से अलग करेंगे।
5. इस क्षेत्र में आपातकालीन फोन नं0, धूम्रपान निषेध, व्हीकल स्टॉप तथा ज्वलनशीनल गैस आदि के बोर्ड लगायेंगे।
6. सी0एन0जी0 स्टेशन पर लाइटिंग कन्डक्टर्स का प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।
7. सम्पूर्ण विद्युत व्यवस्था आई0एस0–2148–1646 व आई0एस0–5572 के मानकों के अनुरूप किया जाय तथा विद्युत वायरिंग में ई0एल0सी0बी0 / एम0सी0बी0 का प्रयोग किया जाये ।
8. प्रत्येक टैंक के लिए अलग–अलग वेन्ट पाइप का प्राविधान किया जाए जो आपस में जुडी नहीं होना चाहिए एंव ऊँचाई 4 मी0 होनी चाहिए तथा उसके चारों तरफ 4 मी0 में कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए।
9. वेन्ट पाइप पेट्रोलियम नियम 2002 एंव OISD-225 के मानक के अनुरूप होना चाहिए।
10. टैंक में तेल भरते समय टैंक डिस्पेंसर व लारी के पास खुली आग का प्रयोग करना वर्जित होगा।
11. लारी / तेल टैंकर से तेल ड्रेन करते समय उसकी अर्थिंग किया जाना अति आवश्यक होगा।
12. स्टोरेज के पास फायर बकेट बालू से भरी हुई 12 अदद मय स्टैण्ड रखी जायें।
13. डिस्पेंसर यूनिटों के पास दो–दो अदद आई0एस0 मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स क्षमता 9 किलोग्राम के रखे जायें समस्त अग्निशमन यन्त्रों को सदैव क्रियाशील दशा में रखने एंव उनका रख–रखाव नियमानुसार किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकों का होगा।
14. इलेक्ट्रिकल उपकरणों के पास आई0एस0 मार्क कार्बनडाई आक्साइड फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद क्षमता 4.5 कि0ग्रा0 के रखे जायें।
15. डीजल जनरेटर सेट के पास आई0एस0 मार्क ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर्स 2 अदद 6 कि0ग्रा0 क्षमता एंव दो अदद 9 लीटर क्षमता के मैकेनिकल फोम फायर एक्सटिंग्यूशर्स आई0एस0 मार्क के रखे जाये और D.G Sets के स्टैक Hight नियमानुसार होना चाहिए एंव टैंक के वेन्ट से उचित दूरी होनी चाहिए।
16. सेल्सरूम एंव ल्यूबरूम में ए0बी0सी0 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 06 के0जी0 के 01–01 अदद एंव इलेक्ट्रिकल पैनल के पास सी.ओ.टू. फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 के0जी0 के 01 अदद रखा जाना अनिवार्य होगा।
17. लाइसेंस एरिया में जंक्शन बाक्स के साथ सभी लाइटें फ्लेम प्रूफ होनी चाहिए।
18. प्रत्येक डिस्पेंसर यूनिट पर इमरजेंसी स्टाप सिस्टम होना चाहिए।
19. इमरजेंसी प्लान OISD-225 के अनुसार होना चाहिए।
20. पृष्ट भाग पर लगभग 30 मीटर की दूरी पर गेस्ट हाउस का लॉन होने व लगभग 70 मीटर दूरी पर गेस्ट हाउस भवन होने के करण जनहित में सम्पूर्ण परिसर की सुरक्षा हेतु 50000 लीटर का भूमिगत टैंक व 1680 एलपीएम0 का इलैक्ट्रिक पम्प स्टेन्ड वाई एंव 180 एलपीएम0 का जॉकी पम्प के साथ हाईड्रेन्ट लाईन लगाया जाना परिसर में आवश्यक होगा।
21. पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग OISD-225 के अनुसार होनी चाहिए।
22. पेट्रोल पम्प पर **धूम्रपान निषेध** के बोर्ड लगे होने चाहिए।
23. फायर स्टेशन का टेलीफोन नं0 मो0नं0 9454418490, 9454418491 और जिला कन्ट्रोल रूम का फोन नं0 100 बोर्ड पर सार्वजनिक रूप से अंकित होना चाहिए।
24. प्रवेश / निकास द्वार प्रकाशित होने चाहिए, जिससे रात्रि के समय वाहन के आने जाने में कोई असुविधा न हो।
25. ग्राहकों की जागरूकता के लिए निम्न सुरक्षा निर्देशों को बोर्ड पर अंकित कर लटकायें:–
    (अ) तेल भरने से पहले वाहन का इंजन बंद कर ले।
    (ब) धूम्रपान न करें।
    (स) मोबाइल बंद रखें।
26. रिटल आउटलेट में स्थापित किये गये सभी प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की टेस्टिंग फीस प्रतिवर्ष राजकीय कोष में जमा कराना अनिवार्य होगा तथा विभागीय अग्निशमन अधिकारी से प्रतिवर्ष निरीक्षण कराकर अग्निशमन प्रमाण पत्र प्राप्त करना भी आवश्यक होगा।

मानचित्र में अंकित बिन्दु संख्या 1–26 तक का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

11/02/2020

मो. एहतशाम जुबैरी
मुख्य प्रबंधक (विक्रय)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि.
Mohammad Ehtesham Zuberi
Manager (Retail Sales)
Indian Oil Corporation Ltd. (M. D.)
आगरा प्रमंडल कार्यालय / Agra Divisional Office
इंडियन ऑयल भवन / Indian Oil House
65/2, संजय प्लेस, आगरा - 282002 (यू.पी.)
65/2, Sanjay Place, Agra - 282002 (U.P.)

कमशः...

अतः उपरोक्त ढांचागत सुरक्षा व्यवस्था एंव प्रस्तावित समस्त अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुपालन करने एंव पेट्रोलियम एक्ट 1934 व पेट्रोलियम नियम 2002 एंव OISD-225 व सिलेन्डर रूल्स 2004 में उल्लेखित नियमों का कडाई से पालन किये जाने के साथ अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र की इस शर्त के साथ संस्तुति की जाती है कि निर्माणोपरान्त उपयोग से पहले पुनः निरीक्षण कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा अन्यथा की गयी संस्तुति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

संलग्नक–अनुमोदित मानचित्र।

(ए0के0सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हाथरस

मो. एहतशाम जुबैरी / Mohd. Ehtesham Zuberi
मुख्य प्रबंधक (रिटेल सेल्स) / Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (वि. प्र.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M. D.)
आगरा मण्डल कार्यालय / Agra Divisional Office
इंडियन ऑयल भवन / Indian Oil House
65/2, संजय प्लेस, आगरा– 282002 (यू.पी.)
65/2, Sanjay Place, Agra - 282002 (U.P.)

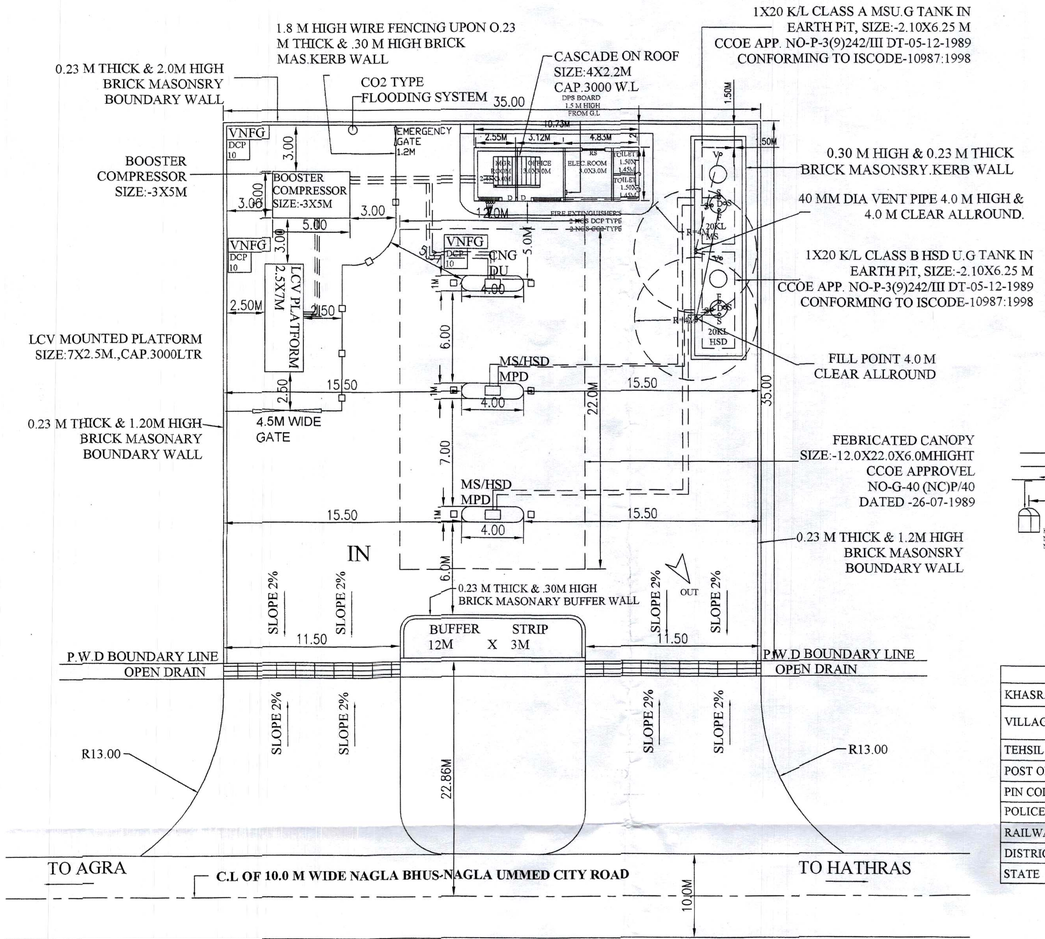

LAYOUT PLAN
SCALE:-1:200

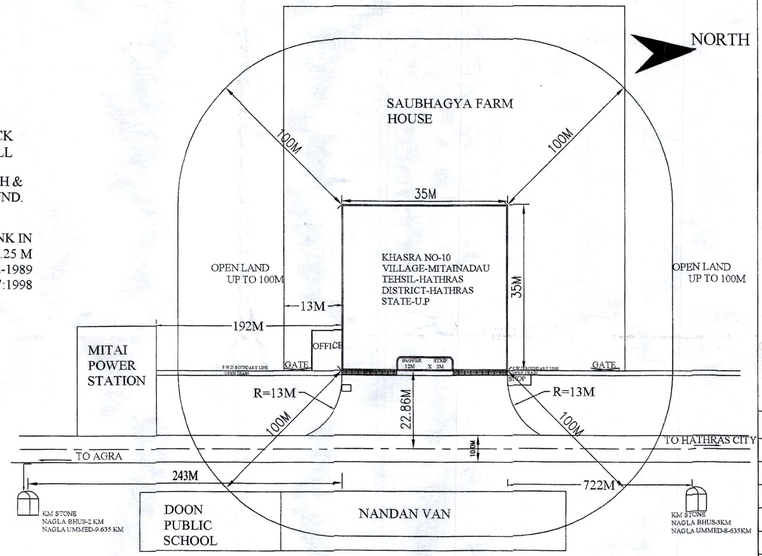

SITE PLAN
SCALE:-1:500

SITE DETAILS	
KHASRA NO	10
VILLAGE	MITAI
TEHSIL	HATHRAS
POST OFFICE	MITAI
PIN CODE	204101
POLICE STN.	CHANDPA
RAILWAY STN.	HATHRAS CITY
DISTRICT	HATHRAS
STATE	U.P

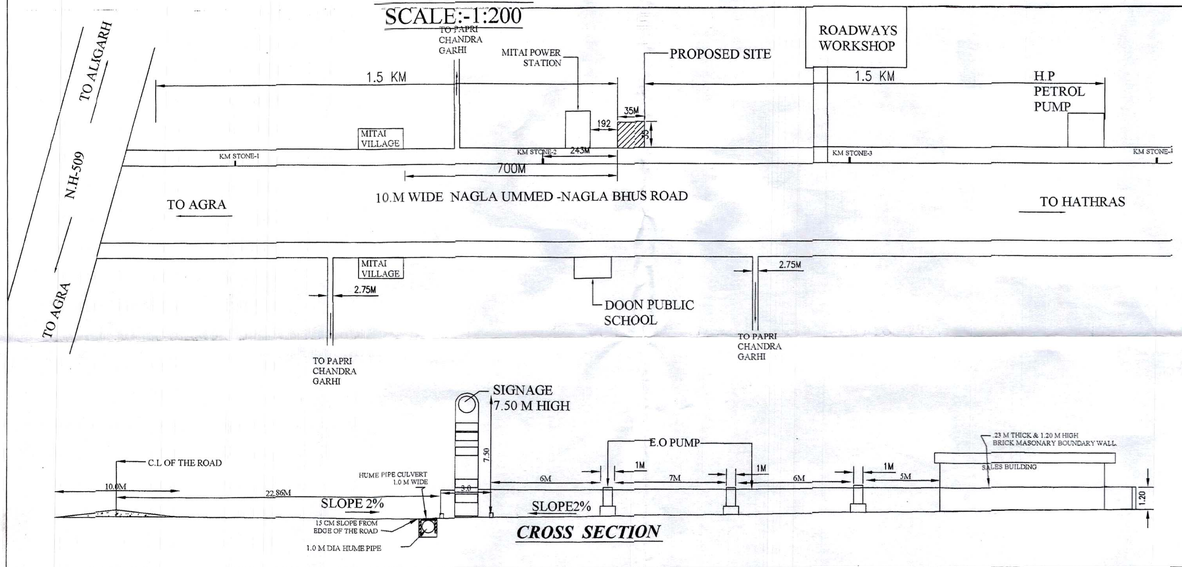

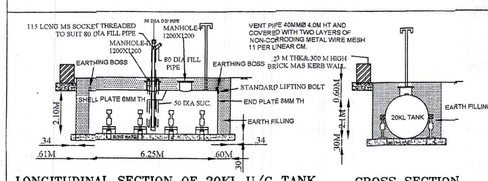

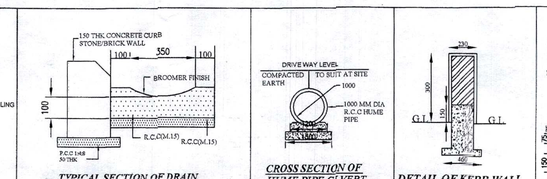

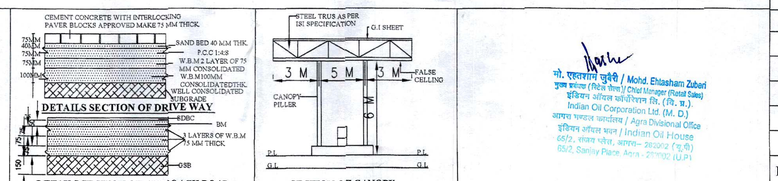

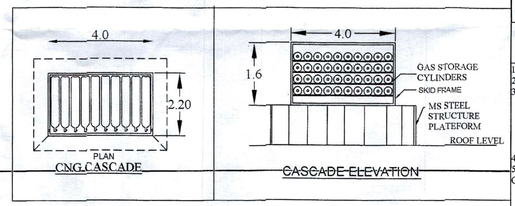

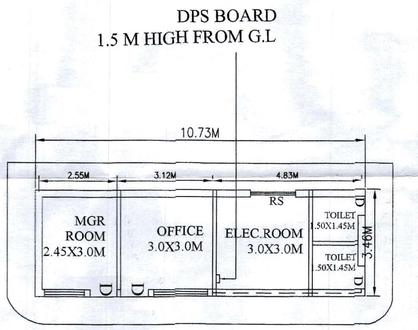

BUILDING DETAILS

पत्र सं०: सी०एफ०ओ०-हाथ०/पेट्रो०अनु०/2019/605
दिनांक: मई 9, 2019 के अनुसार।

9/5/19
(ए० के० सिंह)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
हाथरस

←	CNG PIPE LINE .ARROW IN DIRECTION OF FLOW.	
S	SAND BUCKETS	4 NO
N	NO SMOKING SIGN.	4 NOS
V	"STOP VEHICLE" SIGN.	4 NOS
F	"NO OPEN FLAME PERMITTED" SIGN.	4 NOS
G	"FLAMMABLE GAS " SIGN.	4 NOS
P	**SIGN SHOWING DETAILED PRECAUTIONS & PROCEDURE OF REFUELLING.**	1 NO
DCP 10	DCP(10 KG)	4 NOS
	EXISTING	
	PROPOSED	
	PROPOSED FENCING	

A **EQUIPMENTS DETAILS**

S.NO.	EQUIPMENTS	NOS.	SERVICE	BLOCK SIZE L.X.W.(IN MTRS)	CAPACITY
1.	COMPRESSOR	1	C.N.G	5.0X3.0	250 SCMH
2.	STATIONARY CASCADE	1	C.N.G	4.0X2.2M	3000 LTR WATER
3.	DISPENSER	2	C.N.G	1.10X0.50X2.00	15.0 K.G/MIN FLOW
4.					

B SAFETY FETURES:-
A) 4 NOS 10 KG EACH DCP NEAR LCV ,STATIONARY CASCADE ,COMPRESSOR & DISPENSER.
B) 1 NO CO2 FLOODING SYSTEM INSIDE THE COMPRESSOR ENCLOSER.

1.ALL DIMENSIONS ARE IN MTRS.
2.CNG DISPENSER IS CONNECTED TO STORAGE CASCADE VIA COMPRESSOR BY SS TUBES.
3.THE PROPOSED CNG FACILITIES ARE DESIGNED IN ACCORDANCE WITH THE FOLLOWING CODE AND GUIDELINES:
A.NZS 5425 -1980.
B.PETROLEUM RULES-2002.
C.GAS CYLINDER RULES-2004/2016. (GOVT. OF INDIA) .
D.GUIDELINES OF CHIEF CONTROLLER OF EXPLOSIVES NAGPUR.
4.FIRE SAFETY & TRAFFIC SIGNS SHALL BE INSTALLED BY R.O.
5.~~ALL EXISTING LIGHTING POLES SHOULD BE INSTALLED 6 MTR AWAY FROM THE CNG EQUIPMENTS LIKES~~ COMPRESSOR ,CASCADES & DISPENSORS.

NOTES:-
2.FILL POINT FITTED WITH CAMLOCK COUPLING& AIR TIGHT THREADED BRASS CAP DECAINTING FROM TANK LORRY.
3.DIP PIPE WITH CAP ASSEMBLY.
4. ALL ELECTRIC ARE FLAMPROOF CONFORING TO IS.2148.
5. ALL THE DOORS OF BUILDING TO BE OPENED OUTWARDLY.
6. NO SEWER OR SURFACE DRIAN WITH IN 6 MTR FORM U.G TANK & D.US.
7. PREMISES TO BE USED ONLY FOR STORAGE OF PETROLEUM PRODUCTS.
8. TANK ARE PAINTED WITH TWO LAYER OF HOT BITUMEN OVER TWO COATS OF RED LID PRIMER TO PROTECT AGAINST CORRISION.
9.FEBRICATION OF U.G STORAGE TANK ARE CONFORMING TO IS 10987:1998 AS PER CCOE NAGPUR ORDER NO G-40(SC)P/MISC 94.DATED 24-02-1999.
10.ALL DIMENSIONS ARE IN MTRS.
11.SB= SAND BUCKETS10 NO AS PER EXPLOSIVE RULES.
12.FE= FIRE EXTINGUISHER'S 10 NO AS PER EXPLOSIVE RULES.
13.TANK SHOULD BE GIVEN HYDRULIC PRESSIRETEST TO BEFORE INSTALLATION AND BEFORE ANY PEROTECTIVE COATING IS APPLIED.THE TEST SHOULD BE MENTION AT A CONTROLL PRESSURE OF 0.36 K/G/CM2 FOR TWO HOURS.
14.DIP ROAD SUPPLIED WITH THE TANK FOR THIS TYPE OF INSTALLATION SHOULD BE 3280 LONG.
15.FEBRICATION THICKNESS OF TANK SHELL PLATES AND END PLATES. 20K/L SHELL -6MM , END- 8MM
16.TANK CONFORM TO CLAUSE 124,125&131 OF PETROLEUM RULES 2002.
17.ALL LIGHT POLES FITTED AS PER APPROVELS OF CCOE NAGPUR VIDE LETTER NO-PL.III(MB-1)DATED 25.11.03.
18.NATURAL DOWN SLOPE FROM EDGE OF THE ROAD TO CULVERT ON APPROACHES WILL BE MENTION FREE FLOW OF WATER TOWARDS DRAIN.
19.SITES MEETS APPLICABLE AS PER IRC NORMS 1983 WITH LATEST AMMENDMENTS.
20.E.V= EXTENDED VENT PIPE.
21.E.F= EXTENDED FILL POINT.
22.NO HIGH TENSION LINE IS PASSING OVER THE SITE.
23.THE PROPOSED SITE IS FREE FROM ANY TYPE OF LITIGATION AND NO MCASE IS PENDING IN ANY COURT OF LAW.
24.ALL NECESSARY APPROVALS FROM CONCERN DEPARTMENT TO BE OBTAINED.
25.DPS BOARD FIXED ON THE WALL OF SALES ROOM 1.5 M HIGH FROM G.L
26.CANOPY SHALL BE FIXED AS PER CCOE APP NO-G-40(NC)P/40 DT-26-07-1989.

LICENSE DETAILS.

PESO. LIC. NO. ***P/CC/UP/14/ (P)***

Indian Oil Corporation Limited
(Marketing Division)
65/2, Sanjay Place, Agra.

NAME OF RO:-	MS/HSD & CNG FILLING STATION
LOCATION:-	ROAD:- NAGLAUMMED-TO NAGLA BHUS ODR (OLD HATHRAS-AGRA)ROAD VILLAGE:- MITAI TEHSIL:- HATHRAS DISTRICT:- HATHRAS STATE- UTTAR PRADESH
DRAWING NO- IOCL/ADO/NRO/2617/19 DT-02.04/2019	

DATE	REVISION	Scale:-As Shown Above	MGR(E)	Sr.MGR(RS)	DGM(RS)

मो. एहसान ज़ुबैरी / Mohd. Ehtasham Zubari
उप्रबंधक (विपणन विकास) / Chief Manager (Retail Sales)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि. (वि. भा.)
Indian Oil Corporation Ltd. (M. D.)
आगरा मण्डल कार्यालय / Agra Divisional Office
इंडियन ऑयल भवन / Indian Oil House
65/2, संजय प्लेस, आगरा– 282002 (उ.प्र.)
65/2, Sanjay Place, Agra - 282002 (U.P.)